



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 164163

(प्रारूप-अ)



हम मदन पाल सिंह प्रबन्धक एवं राम सहाय सचिव, जगत राज मुख्या शिक्षण संस्थान, पते सिंकदरपुरा चरखारी रोड राठ जिला हमीरपुर (उ०प्र०) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करता हूँ कि-

1. यह कि हमारे सोसायटी द्वारा जगत राज महाविद्यालय, सिंकदरपुरा चरखारी रोड राठ जिला हमीरपुर नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सन 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारे सोसायटी के नाम जगत राज महाविद्यालय, सिंकदरपुरा चरखारी रोड राठ जिला हमीरपुर (उ०प्र०) में गाटा सं० 1752/2 कुल रकबा 2.69 एकड़ भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है. और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं० 1752/2 कुल रकबा 2.69 एकड़ पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी की बैठक दिनांक 17 जुलाई 2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही उपरोक्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के सवालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

CH & VERIFIED
PREME
R.K. VERMA
AU/OC/IE & NOTARY
Reg. No. 31(52) 2000 2
Lko Hld. Office

Manager
Jyoti Mukhya Shiksha Sansthan
Rath, Hamirpur

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्थान में फार्मरी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।



9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन भविष्य में न ही किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मरी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन किया जायेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मानकानुसार कोई कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

SWORN & VERIFIED
 BEFORE ME
 R.K. VERMA
 ADVOCATE & NOTARY PUBLIC
 Reg. No. 31/52/1990
 Lucknow

मेरे घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

Jagdish Kumar Singh
 H.O. प्रबन्धक
 Manager
 Jagdish Mukhya Shiksha Sanstha
 Raib, Hamirpur

३१/५/२०२०
 H.O प्रबन्धक
 Manager
 Jagdish Mukhya Shiksha Sanstha
 Raib, Hamirpur

३१/५/२०२०
 H.O सचिव
 Manager
 Jagdish Mukhya Shiksha Sanstha
 Raib, Hamirpur